

# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: प-( ) जविप्रा/अ.क्र. (पत्र.सं.सौ.)/2006/सी 124

दिनांक: 03/07/06

## कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 32 वी बैठक दिनांक 26.07.06 को दोपहर 12.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महादय की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में लगे वाले जनप्रतिनिधिगण व अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ट 'भ' पर संलग्न है। बैठक में विभिन्न विमर्श पश्चात निर्णयित निर्णय पारित किये गये :-


क्र.सं.	जान संख्या	प्रस्ताव संख्या	प्रस्ताव का विवरण	निर्णय
1		32:1	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की आयोजित 31 वी बैठक दिनांक: 10.5.06 के कार्यवाही विवरण के अनुपादन बाबत।	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की आयोजित 31 वी बैठक दिनांक: 10.5.06 के कार्यवाही विवरण के अनुपादन के अनुपादन किये गये।
2	1	32:2	श्री सुरज कुमार शर्मा द्वारा खपता नं० 111/199, रकबा 2 बिस्वा, ग्राम मानपुरदवरी, तहसील जयपुर के एजेंड में अन्यत्र स्थित जमीन के सम्बन्ध में।	पुसानी आबादी के रूप में है या रिकार्ड में दर्ज है। प्रत्येक हेक्टर जमीन के विचारार्थ भूमि कर व जमीन की मूल्य और इस सम्बन्ध में दर प्रचलित की तथ्या विचारार्थ भूमि कर जयपुर विकास प्राधिकरण के पास नामांकन हुआ या नहीं। प्राधिकरण के पास नामांकन नहीं हुआ है। सम्बन्धित प्राधिकरण के पास नामांकन की कार्यवाही कर्तव्य नहीं। प्रस्ताव को पूर्ण परीक्षण के पश्चात् विधेयार्थक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जावे। प्रकरण में उपरोक्त जमीन द्वारा सुरज कुमार शर्मा को प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गए है। अन्य उपरोक्त जमीन द्वारा प्रस्तावित जमीन नं० 132, सौ-134 के संबंध में मोक की स्थिति तथा रिकार्ड एवं न्यायार्थक द्वारा निर्णय की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सुरज कुमार शर्मा को प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं तथा इस संबंध में सम्बन्धित पक्षकार में सम्पत्ति
3	1	32:3	श्री सुरजभान के चारिमान श्रीमति भागवती देवी एवं श्री राकेश टंडन बनाम जविप्रा व अन्य न्यायालय एडोज सिविल जज के वार मंडल 15/93 निर्णय दिनांक: 22.10.97 एवं जविप्रा द्वारा दायर एस सी सिविल रिट पिटिशन संख्या 0/2006 के क्रम में भूतल आर्बटन बाबत।	

  
 आयुक्त (एक वी.सौ.)  
 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				<p>प्राप्त करने की भी कार्यवाही करे। मांका निरीक्षण तथा रिकॉर्ड व न्यायालयी व निर्णयों की संश्लेषण में प्रतिवेदन उपायुक्त ज्ञान-1 तथा उपायुक्त ज्ञान-3 संयुक्त रूप में तैयार करेंगे तथा उक्त प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही अनुरोध पूर्ण की जानी है अतः रीतिरूप उक्तानुसार कार्यवाही कर मुसपट प्रस्ताव प्रस्तुत किया जावे।</p>
4	1	324	<p>भूमि एवं सम्पत्ति समिति की 26 वी बैठक दिनांक: 8.2.06 का प्रस्तुत एजेण्डा सं० 26:11(12) में लिए गए निर्णय में संशोधन के संबंध में।</p>	<p>उपायुक्त ज्ञान-1 के प्रस्ताव अनुसार भूमि एवं सम्पत्ति समिति की 26 वी बैठक दिनांक: 8.2.06 में प्रस्तुत एजेण्डा सं० 26:11(12) में अंकित भूखण्ड सं० बी-533 नारदपुरा के स्थान पर बी-523 नारदपुरा महवन में अंकित कर दिया गया था। अतः सर्वसम्मति में भूखण्ड सं० बी-523, नारदपुरा के स्थान पर बी-533, नारदपुरा किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।</p>
5	3	325	<p>राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद को 1991 में लालकोठी क्षेत्र में कुबेर कॉम्प्लेक्स व जेडीए फ्लैट्स के मध्य आवंटित भूमि का आवंटन निरस्त करने के सम्बन्ध में।</p>	<p>उपायुक्त ज्ञान-3 के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कुबेर कॉम्प्लेक्स व जेडीए फ्लैट्स के मध्य मजजी मण्डली के सम्पन्न वर्ष 1991 में 1700 वर्ग गज भूमि राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद को लालकोठी क्षेत्र में आवंटित की गई थी चूंकि इसी स्थान पर 1152.65 वर्ग गज भूमि पूर्व में ही दूर.एन. आई को आवंटित की जा चुकी थी और उच्च स्तरीय समझौते के तहत 1100 वर्ग गज भूमि का आवंटन दूर.एन. आई को यथावत रखा गया तथा शेष उपलब्ध भूमि राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद को किये जाने का निर्णय लिया गया था। बाद में राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद का विद्याश्रम विद्यालय के मागन भूखण्ड सं० 2 का आवंटन कर दिया गया। इस कारण आसपास की भूमि राजस्थान प्रशासनिक सेवा</p>

  
 गति-बाबुल (तल की नो.)  
 राज प्राधिकरण

				परिषद् को 1991 में किया गया आवंटन दिनांक: 27.3.06 को निरस्त कर दिया गया। आवंटन निरस्तीकरण को कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान करावे। अतः चूँकि राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद् को अन्य स्थान पर भूमि आवंटन को जा चुकी है। अतः विचार विमर्श कर लालकोठी क्षेत्र में किये गये आवंटन को निरस्तीकरण को कार्यवाही वा का अनुमोदन किया जाकर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।
6	7	32:6	श्रीमति सुरगीला सिसांदिया को डी-27, सुदर्शनपुरा औद्योगिक क्षेत्र से चित्रकूट योजना में भूखण्ड सं० 4/36ए का आवंटन बाबत।	उपायुक्त जान-7 द्वारा सुस्पष्ट रूप से प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः निर्देश दिये गये कि प्रस्तावित भूखण्डों के सम्बन्ध में मौका स्थिति एवं विवादरहित भूखण्ड होने के स्थिति के सम्बन्ध निरीक्षण किया जाकर तथा सम्बन्धित पक्षकारों में महत्वपूर्ण जाकर सुस्पष्ट टिप्पणी के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कार्यवाही की जावे।
7	7	32:7	झाटवाड़ा पुलिया के निर्माण में हटायें गये दुकानदार श्री मुनीर खान के चारिस श्री सिराजुद्दीन को 'ए' ब्लॉक गाँवन्दपुरा, कालवाड़ में आवंटित व्यवसायिक भूखण्ड सं० 106 के स्थान पर बदले/विनिमय में व्यवसायिक भूखण्ड 105 को आवंटित करने बाबत।	उपायुक्त जान-7 के प्रस्ताव अनुसार झाटवाड़ा पुलिया के निर्माण से हटायें गये दुकानदार श्री मुनीर खान को पूर्व में व्यावसायिक भूखण्ड सं० 106 आवंटित हुआ था उस नीलापत्र में किसी अन्य को आवंटित किए जाने के फलस्वरूप अब विनिमय में व्यवसायिक भूखण्ड सं० 105 पूर्व भूमि एवं सम्पत्ति मर्मति की बैठक दिनांक: 20.9.2000 में एजेंडडा आइटम एवं पारित प्रस्ताव संख्या 267/24 के अनुसार निर्धारित दर 30000/- प्रति भूखण्ड को दर पर मुनीर खान के बीच उत्तराधिकारियों को आवंटन किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जावे। बाद विचार विमर्श एवं समझौते में निर्णय लिया गया कि व्यवसायिक भूखण्ड सं० 106 के बदले भूखण्ड सं० 105 पूर्व निर्धारित दर 30000/- प्रति भूखण्ड पर मुनीर खान के बीच उत्तराधिकार


  
 पति- शायकत (एल.बी.सी.)  
 गुर भिन्नत प्राधिकरण, उदपुर



11	9	32211	<p>राखवाटी अंचल संस्थान द्वारा बानिका विद्यालय को दोतली किवाली माजना में भूखण्ड 40 आई 1 में से 2000 वर्ग मीटर आवासीय आरक्षित दर के 25 प्रतिशत पर भूमि आवंटन बाबत।</p>	<p>उपरोक्त ज्ञान-9 के प्रस्ताव अनुसार राखवाटी अंचल संस्थान को भूमि एवं मर्यादा समिति को 30वां बैठक दिनांक: 1.5.06 में मंजूरी दर के 25 प्रतिशत दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया था। मंजूरी द्वारा अनुमति दिया गया है कि नगरपालिका विकास विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक: प-3(55)नवि/3/02, दिनांक: 14.2.05 के प्रावधान अनुसार बानिका शिक्षा विद्यालयों के लिए आवासीय आरक्षित दर को 25 प्रतिशत की दर से आवंटन का प्रावधान है। अतः आवासीय आरक्षित दर को 25 प्रतिशत की दर से आवंटन करने की अनुमति प्रदान की जावे। विचार विमर्श कर मंजूरीसमिति में निर्णय लिया गया कि यदि उक्त मंजूरी बानिका शिक्षा के लिए आवंटन है तो उक्त मंजूरीसमिति क्रमांक: प-3(55)नवि/3/02 दिनांक: 14.2.05 के प्रावधान के अनुसार मंजूरी का आवासीय आरक्षित दर को 25 प्रतिशत की दर से आवंटन की मंजूरी प्रदान की जावे है।</p>
12	9	32212	<p>जनकाल पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट को विद्यालय एवं शैक्षणिक गतिविधियों हेतु भूमि आवंटन बाबत।</p>	<p>उपरोक्त ज्ञान-9 के प्रस्ताव अनुसार जनमंगल पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा मंजूरी शैक्षणिक गतिविधियों के लिए 2000 वर्ग मीटर भूमि आवंटन की मांग की है। उक्त सरकार के परिपत्र क्रमांक: प-3(55)नवि/3/02, दिनांक: 14.2.05 के अनुसार आवंटन मंजूरी पब्लिक एवं चैरिटेबल होनी चाहिए तथा राजस्थान कार्पोरेटिव मामलों की मंजूरी एक्ट के अन्तर्गत रजिस्टर्ड होनी चाहिए तथा नियमानुसार वर्णित सीमा तक आवंटन की कार्यवाही हो सकती है। उक्त मंजूरी मंजूरीसमिति रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड नहीं है अतः मंजूरी का मुक्ति किया जावे कि सर्वप्रथम मंजूरीसमिति रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत</p>

*(Signature)*  
**वरिष्ठ प्राध्यापक (एन.टी.ओ.)**  
**जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर**

				रजिस्टर्ड करवाने की कार्यवाही करे तथा उक्त परिपत्र क्रमांक: 3-3(55)नविचि/3/02, दिनांक: 14.2.05 के प्रावधानों के तहत पूर्ण करते हुए आवेदन करें।
13	9	32:13	भूखण्ड सं० डी-356 महल (कॉर्नर) का संशोधित मानचित्र में विभाजित होने के कारण उक्त आकार का नये सृजित भूखण्डों में भूखण्ड दिए जाने बाबत।	उपायुक्त जॉन-9 द्वारा प्रस्तावित किया गया है कि अशोक कुमार पुत्र म्य० श्री दयाराम का महल योजना में भूखण्ड सं० डी-356(कॉर्नर) 45 वर्ग मीटर का आवंटन किया गया था। योजना में तकनीकी कारणवश योजना मानचित्र में संशोधन किया गया जिसमें उक्त भूखण्ड सं० डी-356(कॉर्नर) विलोपित कर दिया गया। प्रार्थी आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र व पट्टा विलोपित जारी कराना चाहता है। उपायुक्त जॉन-9 द्वारा भूखण्ड सं० डी-356(कॉर्नर) के बदले संशोधित योजना मानचित्र में नये सृजित भूखण्ड डी-301 एच डी-341 बी, डी-341 में जा कि कॉर्नर है में म एक भूखण्ड दिया जाना प्रस्तावित है। अतः विचार विमर्श कर सर्वसम्मति में निर्णय लिया गया कि उपायुक्त जॉन यह तर्क कर कि आवंटि द्वारा आवंटित भूखण्ड को राशि जमा करा दी गई है अथवा नहीं, यदि प्रार्थी द्वारा राशि जमा करा दी गई हो तो भूखण्ड सं० डी-341 सी का आवंटन किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
14	9	32:14	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि० (HPCL) की रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) खोलने हेतु 30 x 30 मीटर के भूखण्ड आवंटन बाबत।	उपायुक्त जॉन-9 ने अपने प्रस्ताव में उल्लेख किया है कि मीनियार रोजनल मैनेजर पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि० जयपुर द्वारा आवेदन किया गया कि उनकी कम्पनी को जगतपुर क्षेत्र में एक रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) अनुसूचित जाति वर्ग के लिए स्थापित किया जाना है। इस पर प्रकरण भूमि एवं सम्पत्ति निस्तरण समिति की 26वीं बैठक दिनांक: 8.2.06 में खमरा नं० 501 ग्राम-श्री किरानपुरा में

  
 मति प्राप्त (एन.टी.सी.)  
 जयपुर विकास प्राधिकरण,

30x30 मीटर (900 वर्ग मीटर)  
 भूखण्ड वर्तमान वाणिज्यिक  
 बाजार दर पर आवंटन करने  
 का निर्णय लिया गया। उक्त  
 निर्णय की अनुपालना में  
 27,000/- प्रति वर्ग मीटर की  
 दर से आवंटन पत्र दिनांक:  
 16.3.06 को जारी किया गया  
 । तत्पश्चात् HPCL द्वारा एक  
 आवंटन पत्र दिनांक: 16.3.06  
 को आयुक्त महोदय को प्रस्तुत  
 किया गया। जिसमें उन्होंने  
 आवंटित पेट्रोल पम्प की  
 वाणिज्यिक बाजार दर के स्थान  
 पर वाणिज्यिक आरक्षित दर  
 राशि 6300/- करने का  
 निवेदन किया। वर्तमान में  
 जान की व्यवसायिक आरक्षित  
 दर 6600/- प्र.व.मी. है।  
 शासन उप सचिव द्वारा विभाग  
 के पत्र क्रमांक:  
 प-3(219)नविवि/3/88, दिनांक:  
 4.7.89 के अन्तर्गत अनुमोचित  
 जाति/जनजाति के लिए  
 नियमानुसार वाणिज्यिक  
 प्रयोजनार्थ निर्धारित आरक्षित दर  
 पर करने का प्रावधान है।  
 अतः हिन्दुस्तान पेट्रोलियम  
 कार्पोरेशन लि० को जान के  
 वर्तमान वाणिज्यिक आरक्षित दर  
 से आवंटन किये जाने की  
 स्वीकृति प्रदान की जाती है।

15 10 32:15 दिगन्तर शिक्षा एवं खेलकूद समिति  
 को भूमि आवंटन बाबत।

उपरोक्त जान-10 के प्रस्ताव  
 अनुसार दिगन्तर शिक्षा एवं  
 खेलकूद समिति द्वारा  
 ग्राम-भावागढ़ बंधा में खमरा  
 नं० 145 में स्कूल संचालित  
 किया जा रहा है। खमरा  
 खमरा नं० की भूमि विकास  
 विकास प्राधिकरण द्वारा महिला  
 शिक्षा समिति को निजी  
 विद्यालय हेतु आवंटन किये  
 जाने के कारण उपरोक्त  
 दिगन्तर संस्थान में भूमि खाली  
 कराने हेतु जविप्रा द्वारा नोटिस  
 जारी किया गया है जिसके  
 विरुद्ध संस्था ने मजबूत पत्र  
 न्यायालय में रिट याचिका सं०  
 2505/06 दायर की गई।  
 उपरोक्त रिट में जविप्रा द्वारा  
 खमरा नं० 145 की भूमि

अति. आयुक्त (एस. टी. सी.)  
 विकास प्राधिकरण, जयपुर

बदले ग्राम-भावागढ़ बंधा के खमरा नं० 349 व 352 की भूमि देने का प्रस्ताव किया जो जिन दिगन्तर संस्था द्वारा स्वीकार किया गया। उपरोक्त रिट में दिनांक: 3.5.06 को दिए निर्णयनुसार दिगन्तर संस्था द्वारा ग्राम-भावागढ़ बंधा के खमरा नं० 145 में कल का अनिर्दिष्ट भूमि को खाना बनाने के बदले खमरा नं० 349 व 352 की 1.78 हेक्टर भूमि के आवंटन हेतु आवश्यक दस्तावेज सहित निर्णय देने के एक सप्ताह में आवंटन प्रस्ताव करने तथा आवंटन सम्बन्धी निर्णय लेने हेतु प्राधिकरण को 2 सप्ताह का समय दिया गया। यदि आवंटन किया जाता है तो आवंटन की तिथि 6 महीने के भीतर दिगन्तर संस्था द्वारा उक्त खमरा नं० 145 की भूमि को खाना बनाने के अनिवार्य रूप से निर्णय लेना होगा। माननीय न्यायाधीश द्वारा निर्णय में उक्त निर्देश दिए हैं कि जिनका उक्त संस्था को सर्वप्रथम अधिसूचना संख्याओं के लिए भूमि आवंटन हेतु बने निर्णय के परिणाम के विचार कर भूमि को आवंटन करें। अतः विचार विमर्श के सर्वप्रथम में निर्णय लिया गया कि उपरोक्त खमरा नं० 145 आवंटन के लिए एक अधिसूचना जारी कर सर्वप्रथम यह सुनिश्चित करें कि उक्त संस्था संस्था एवं संस्थाओं से आवश्यक नदी तथा राजस्व के सम्बन्धी आवश्यक दस्तावेज एवं रजिस्टर्ड हो अथवा नदी एवं राज्य सरकार न्यायिक विभाग निर्णय द्वारा उक्त संस्था को उक्त निर्णय दिनांक: 14.5.06 को राशनी में सुनने एवं निष्ठापूर्वक प्रस्ताव प्रस्तुत करें उपरोक्त खमरा नं० 145 के प्रस्ताव अनुसार ग्राम-मुहाना तहसील-सांगानर के खमरा नं० 1955 एवं 1958 में कुल 2.73 हेक्टर भूमि उपरोक्त

16	11	32:16	नवसंज्ञित राजकीय प्रशासन संस्थान
			भूमि आवंटन बाबत


नियंत्रण (एल. टी. एम.)  
नियंत्रण प्राधिकरण

है, जो जयपुर विकास प्राधिकरण की खातेदारी में दर्ज है, जिस पर अनाधिकृत कब्जा करके खेती की जा रही है। जिसके संबंध में अतिक्रमण हटाया जाकर भूमि खाली करा ली जायेगी प्रस्तावित स्थल का भू-उपयोग पार्क एवं ओपन स्पेस अंकित है अतः भू-उपयोग परिवर्तन शैक्षणिक किया जाना प्रस्तावित है।  
अतः विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मंत्र म अतिक्रमण भूमि खाली कराने तथा वांछित भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही की शर्त पर उपायुक्त जान-11 के प्रस्ताव अनुसार निःशुल्क आवंटन की स्वीकृति प्रदान की जाती है चूंकि भूमि का निःशुल्क आवंटन किया जाना है अतः राज्य सरकार को स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही की जावे तथा अतिक्रमण हटाने एवं भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही की जावे।

17	11	32:17	इन्टरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, गोल्फ कोर्स एवं साईन्स सिटी की स्थापना हेतु भूमि आवंटन याचत् ।	उपायुक्त जान-11 के प्रस्ताव अनुसार आयुक्त, पयटन, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक: 425, दिनांक 7.1.05 के द्वारा राज्य सरकार की स्वीकृति के अनुसार ग्राम-दहर्माकली बगरू के पास अजमेर रोड पर इन्टरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, गोल्फ कोर्स एवं साईन्स सिटी की स्थापना हेतु भूमि आरक्षित कर पयटन विभाग को सूचित किये जाने हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण को प्रेषित किया गया तथा जान के रिपोर्ट के अनुसार ग्राम-दहर्माकली तहसील मांगानेर के खमरा नं० 306, 307, 411, 412, 413, 414, 452, 453, 461, 462, 416, 417, 377, 379, 380, 370, 350, 330 में कुल 45.27 हेक्टेयर भूमि आरक्षित की
----	----	-------	---	--

*(Handwritten Signature)*  
प्राप्त प्राप्त (एच.पी.सी.)  
विकास प्राधिकरण, जयपुर


			जा सकती है। यह भूमि जविप्रा की खातदारी में दर्ज है। अतः उपायुक्त के प्रस्ताव अनुसार समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि ग्राम-दहमाकली, तहसील - सांगानर में 45.27 हेक्टर भूमि पयटन विभाग को आरक्षित संस्थानिक दर पर हस्तान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
18	11	32:18	<p>डी.एम.पी. खूंटडा हाम्योपेथिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर का आवंटित भूमि के पट्टे आवंटन दर तय करने बाबत</p> <p>उपायुक्त जोन-11 के प्रस्ताव अनुसार डी.एम.पी. खूंटडा हाम्योपेथिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर के आवंटन पर विचार विमर्श कर जयपुर विकास प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की बैठक सं० 22 दिनांक: 8.11.05 के द्वारा निम्न प्रकार निर्णय लिया गया। " डी.एम.पी. खूंटडा हाम्योपेथिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर" का एन.पी.सी. की 16वां बैठक दिनांक: 6 व 7 जून, 2005 में गांधीनंदपुरा रोपाड़ा गांनेर रोड पर 35 हजार वर्ग मीटर भूमि संस्थानिक आरक्षित दर पर आरक्षित करने का निर्णय लिया गया था, को निरस्त किया जाता है। उक्त संस्था का ग्राम-सायपुरा, तहसील-सांगानर के खमरा नं० 395 रकबा 41.72 हेक्टर में 15 हेक्टर भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया था लेकिन उक्त बैठक में किस दर से आवंटन किया जाना है, का निर्णय नहीं लिया गया। अतः विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि डी.एम.पी. खूंटडा हाम्योपेथिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर का संस्थानिक आरक्षित दर का आवासीय आरक्षित दर - 25 प्रतिशत की दर से आवंटन की स्वीकृति दी जाती है।</p>

  
 उपायुक्त (एन.पी.सी.)  
 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर


19	12	32:19	जयपुर विकास प्राधिकरण की टाटियावास आवासीय योजना में 33/11 के.वी.जी.एस.एस. बनाने के लिये जे.वी.वी.एन.एल. को जमीन आवंटन कराने के संबंध में ।	उपायुक्त जोन-12 के प्रस्ताव अनुसार ग्राम-टाटियावास, तहसील-आमेर में आवासीय योजना (आनन्द लोक) बनाई गई है । उक्त योजना में विद्युतीकरण के लिये जे.वी.वी. एन.एल. को 3151.73 वर्ग मीटर भूमि 33/11 के.वी.जी. एस.एस. निर्मित करने के लिए आवंटित किया जाना प्रस्तावित है । अतः सर्वसम्मति निर्णय लिया गया कि जोन की वर्तमान आवासीय आरक्षित दर पर उपरोक्तानुसार आरक्षित भूमि आवंटन करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।
20	12	32:20	विधवा, अनाथ, परित्यक्ता व गरीब कामकाजी महिलाओं के लिए आश्रम हेतु 1000 वर्ग मीटर भूमि निःशुल्क या अतिरिचयती दर पर भूखण्ड आवंटन हेतु ।	उपायुक्त जोन-12 द्वारा समिति के समक्ष एजेण्डा पस्तुत किया गया है उसमें सम्बन्धित तथ्यों से परिपूर्ण मुस्पष्ट प्रस्ताव पेश नहीं किये गये हैं । अतः निर्णय लिया गया कि उपायुक्त प्रकरण को पूर्ण रूप में जंच एवं नियमानुसार परीक्षण कर अपने प्रस्ताव मुस्पष्ट एवं निष्कर्षात्मक प्रस्ताव प्रस्तुत करें
21	12	32:21	ग्राम-कानाता में बनाई गई स्टोन क्रेशर यूनिट को निरस्त करने बाबत ।	उपायुक्त जोन-12 के प्रस्ताव अनुसार ग्राम-कानाता के खसरा नं० 233 ग्राम-दयारामपुरा के खसरा नं० 2, 3 व 5 की भूमि में प्राधिकरण की एक योजना स्टोन क्रेशर यूनिट बनाई गई थी, जिसके अन्तर्गत 9 भूखण्डों का आवंटन किया गया था लेकिन लोक पर भूखण्डों का कब्जा नहीं दिया जा सका, क्योंकि इस वादत न्यायालय अतिरिक्त निवृत्त न्यायाधीश वरिष्ठ खण्डक्रम नं० 1 जयपुर द्वारा दिनांक: 8.4.06 को स्टोन क्रेशर यूनिट की भूमि पर मूल वाद में निर्णय होने तक यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए गये हैं । 6 भूखण्डधारियों को पूर्व में एवं 3 आवंटियों का वादत निरस्त करने के परचा न दिनांक: 31.3.06 को राशे लौटाई जा चुकी है । उक्त आदेश के खिलाफ प्राधिकरण द्वारा अपील की गई जा

*(Handwritten Signature)*  
 मति० कायुक्त (जन ती. सी.)  
 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				<p>खारिज हो गई। उक्त भूमि में जविप्रा की आवासीय/व्यावसायिक योजना तैयार किया जाना प्रस्तावित है परन्तु इसमें पूर्व स्टोन क्रशर यूनिट योजना को निरस्त किया जाना आवश्यक है।</p> <p>अतः विचार विमर्श कर सर्वमंमति में निर्णय लिया गया कि उपायुक्त ज्ञान मोंका निरीक्षण कर मोंका की स्थिति तथा न्यायालय द्वारा पारित आदेश में वर्णित तथ्यों को रोशनी में परीक्षण कर सुस्पष्ट प्रस्ताव निष्कर्षात्मक रूप में प्रस्तुत करने की कार्यवाही करे।</p>
22	12	32:22	<p>सीकर रोड पर प्रस्तावित ट्रामंपोर्ट नगर विस्तार के लिए ग्राम जगन्नाथपुरा/उदयपुरिया/लूनिणायावाम एवं दीपपुरा तहसील -आमर के ग्रामों की अर्वाप्त भूमि के बदले 15 प्रतिशत विकसित आवासीय भूखण्ड आवंटित किए जाने संबंध</p>	<p>उपायुक्त ज्ञान-12 के प्रस्ताव अनुसार सीकर रोड पर प्रस्तावित ट्रामंपोर्ट नगर विस्तार के ग्राम - जगन्नाथपुरा, उदयपुरिया/लूनिणायावाम एवं दीपपुरा तहसील -आमर के ग्रामों की भूमि अर्वाप्त की जाकर अर्वाह जारी किया जा चुका है जिसका अनुमानतः राज्य सरकार द्वारा दिनांक: 12.12.05 को किया जा चुका है। उक्त अर्वाह में अधिजात अर्वाहीत का मुआवजे के रूप में 15 प्रतिशत आवासीय विकसित भूखण्ड दिये जाने का विकल्प दिया है। अतः राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक: 13.12.01 के अनुसार संबंधित अर्वाहीत का मुआवजे के रूप में 15 प्रतिशत आवासीय विकसित भूखण्ड का आवंटन किया जाना है।</p> <p>अतः विचार विमर्श कर निर्णय सर्वमंमति में लिया गया कि भूमि अर्वाप्त के क्रम में राज्य सरकार के उक्त संशोधित परिपत्र दिनांक: 13.12.01 के अनुसार मात्र अर्वाहीत को मुआवजे के रूप में 15 प्रतिशत विकसित आवासीय भूखण्ड दिये जाने को स्वीकृति इस निर्देश के माध्य से दी जाती है कि उपायुक्त ज्ञान तथा भूमि अर्वाप्त अधिकारी इस</p>

  
 मिति. मासुक्त (गल नो. सी.)  
 पर विकास प्राधि...

			संबंध में संबंधित नियमों, राज्य सरकार के आदेशों तथा माननीय न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों/आदेशों के क्रम में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए उक्त कार्यवाही नियमानुसार संपादित करेंगे।
23	12	32-23	कल्पना नगर (आगरा रोड) के लिए विधुत व्यवस्था हेतु राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को भूमि आवंटन बाबत। उपायुक्त ज्ञान-12 के प्रस्ताव अनुसार विधुत व्यवस्था हेतु राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि० को 132/33 के. वा. स्टेशन बनाये जाने हेतु कल्पना नगर में 3000 वर्ग मीटर भूमि आरक्षित की गई है, जिसे किस दर पर आवंटित किया जाना है, के प्रस्ताव पेश किये गये हैं। अतः निर्णय लिया गया कि ज्ञान को वर्तमान आवासीय आरक्षित दर पर उपरोक्तानुसार आरक्षित भूमि आवंटन करने को स्वीकृति प्रदान की जाती है।
24	2	32-23(1)	हुमन ग्रन्थु म्यूजिक अकादमी को भूमि आवंटन बाबत। उपायुक्त ज्ञान-12 के प्रस्ताव अनुसार एल.पी.सी. को 15वीं वेंचर दिनांक: 13.3.05 में पारित निर्णयानुसार संस्था को योजना की संस्थानिक आरक्षित दर 2650/- प्रति वर्ग मीटर की दर से 2000 वर्ग मीटर (1672 व.मी.) भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया। अतः अनुपालना में ज्ञान द्वारा दिनांक: 23.4.05 को आवंटन पत्र जारी किया गया। आवंटन पत्र की शर्तानुसार आवंटन पत्र जारी तिथि से भूखण्ड के पट वांछित लेय राशि 413299.00 रुपये 30 दिवस की अवधि में जमा कराने थे। संस्था को कई बार स्मरण पत्र जारी करने के बावजूद वांछित राशि जमा नहीं कराने की वजह से संस्था का आवंटन दिनांक: 22.4.06 को निरस्त कर संस्था निदेशक को सूचित कर दिया गया। प्रस्ताव के अनुसार विद्यालय नगर योजना के पास आवंटन हेतु प्रस्तावित यह भूमि रिक्त है, जो जयपुर विकास

  
 अधिकारी (एन.पी.सी.)  
 नगर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्राधिकरण की खातदारी के नाम दर्ज है। शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग द्वारा उनके पत्र क्रमांक: प-3 ( )नवि/03/06. दिनांक: 10.7.06 के द्वारा प्रकरण सं: निरस्त भू-आवंटन के संबंध में पुनर्विचार से निर्देश दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि प्ररगत भूमि के संबंध में न्यायालय राजस्थान वक्फ अधिकरण, जयपुर में एक वाद 24/2002 उनवानी अजीजुलरहमान बनाम जयपुर विकास प्राधिकरण विचाराधीन है जिसमें स्थगन आदेश प्रभावी है तथा अबमानना याचिका भी लम्बित है अतः भूमि का पुनः आवंटन उक्त न्यायिक वाद में निर्णयाधीन किया जाना उचित होगा।

अतः नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक:प-3( )नवि/03/06/दिनांक: 10.7.06 में वर्णित निर्देशों के क्रम में कला एवं संस्कृति को प्राप्ताहन को दृष्टिगत रखते हुए आवंटक को पूर्व में दिये आवंटन के निरस्तीकरण पर पुनः विचार करते हुए माननीय न्यायालयों के आदेशों/निर्देशों को पालन में अधीन पूर्ववत भूमि आवंटन की स्विकृति प्रदान की जाती है। उक्त आवंटन माननीय न्यायालय में विचाराधीन वाद/याचिका आदि के निर्णय उपरान्त तदनुसार ही प्रभावशाली होगा। उपायुक्त ज्ञान-2 इस सम्बन्ध में सम्बन्धित न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरण में न्यायालय द्वारा पारित आदेश/निर्देश/निर्णय के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कर न्यायालय के निर्णयों उपरान्त कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। उपायुक्त ज्ञान-11 के प्रस्ताव अनुसार शासन उप सचिव के पत्र क्रमांक: प-3 (29) नवि/3/05/पाट, दिनांक:

25 अति. प्रमुख (एल.पी.सी.) जयपुर  
3223(2)  
जयपुर विकास विभाग


स्पेशल इकानामिक ज्ञान क्षम रीका को भूमि आवंटन की स्विकृति आवत्।

31.5.06 व प्रबन्ध निदेशक, रीको क पत्र क्रमांक: 124, दिनांक: 17.6.06 की पालना में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा स्पेशल इकोनॉमिक जॉन कं लिए अवाप्त की जा रही 1415.47 हेक्टेयर भूमि में से महाप्रबन्धक रीको क पत्र क्रमांक: आई.डी./सेज/ लैण्ड/ 06/124, दिनांक: 22.6.06 द्वारा प्रस्तुत साईट मैप जिसमें सेज विकसित किया जाना प्रस्तावित है। उक्त नक्शों कं मध्य में पड़ने वाली जयपुर विकास प्राधिकरण की खातेदारी की भूमि रीको कं आवंटन की जानी है। इसी क्रम में नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार कं आदेश दिनांक: 15.7.06 कं अनुसार जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रारम्भिक भूमि लगभग 1000 एकड़ रीको कं लॉन्ग पर दी जानी है। जिसके विरुद्ध इस विभाग कं आदेश दिनांक: 5.9.05 कं द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण को स्पेशल इकोनॉमिक जॉन हेतु 161.23 हेक्टेयर भूमि रीको कं आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः शेष रही भूमि कं आवंटन की स्वीकृति प्रश्न को जाती है।

अतः रीको कं पूर्व में आवंटित भूमि की 398.45 एकड़ में से 6.24 हेक्टेयर भूमि नक्शों में बाहर होने तथा 2.76 हेक्टेयर भूमि वाटर एरिया छोड़ी में होने क कारण ग्राम-करवाड़ा, भामारिया, इगाई की परिशिष्ट 'ब' श्रेणीत वर्गों अनुसार कुल 9 हेक्टेयर (22.24 एकड़) भूमि निरस्त की जावे तथा इस प्रकार में 22.24 हेक्टेयर भूमि निरस्त हान में रीको कं पाम पूर्व में आवंटित भूमि में से 376.20 एकड़ भूमि ही शेष रह

*Handwritten signature*  
 जयपुर विकास प्राधिकरण (एन.टी.सी.)  
 जयपुर

			<p>आवासीय योजना ग्राम-धीलाई (पृथ्वीराज नगर) में रिक्त भूखण्ड 538 से 540, 528 से 532 एवं 514 से 519 भूखण्ड बदले में आवंटन किये जाने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं ।</p> <p>अतः सर्वसम्मति से उपायुक्त के प्रस्ताव अनुसार निजी खातेदार की सुखविहार योजना में आने वाले भूखण्ड सं० 281 से 289 व 298 से 302 के बदले भूखण्ड सं० 538 से 540, 528 से 532 एवं 514 से 519 कुल 14 भूखण्ड नियमानुसार आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।</p>
27	32:23(4)	<p>बी.आई.डी.आई की 21वी बैठक दिनांक: 1.4.06 के निर्णय अनुसार मैसर्स भारत होटल लि० को जगतपुरा में भूखण्ड सं० 2-बी एवं 2-सी के आवंटन बाबत ।</p>	<p>उपायुक्त जॉन-4 के प्रस्ताव अनुसार मैसर्स भारत होटल लि० द्वारा पूर्व में राजस्थान सरकार के समक्ष 5 स्टार डीलक्स होटल के लिए भूमि जवाहर सर्किल सांगानेर एयरपोर्ट सर्किल के पास 50000 वर्ग मीटर भूमि आवंटन हेतु निवेदन किया गया था । इस प्रकरण का जेडीए के स्तर पर परीक्षण किया गया । परीक्षण में जवाहर सर्किल से जगतपुरा जाने वाली 200 फुट रोड पर भू सं० 2 सी व 2 बी जिनका क्षेत्रफल क्रमशः 6198 व.मी. व 5667.18 वर्ग मीटर कुल 11865 वर्गमीटर बनता है । इस क्षेत्र की वर्तमान व्यावसायिक आरक्षित दर 40000/- प्रति व.मी. है । संस्थागत आरक्षित दर रूपये 18750/- प्र.व.मी. एवं आवासीय आरक्षित दर रूपये 15000/-रु. प्रति वर्ग मीटर है यह भूखण्ड व्यवसायिक/संस्थानिक हेतु एयरपोर्ट विकास योजना में आरक्षित है । ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन की बी.आई.डी.आई की मितिग 21वी, दिनांक: 1.4.06 में मैसर्स भारत होटल को 12000 प्र.व. मी. भूमि आवंटन करने का सैद्धान्तिक रूप से निर्णय लिया</p>

  
 उपायुक्त (एन.पी.सी.)  
 गणतंत्र विभाग प्राधिकरण, जयपुर

तथा एवं भूमि की कोमत हाटल पॉलिमी के अनुसार की ग: सकगी । चूंकि नई हाटल पॉलिमी 2006 तय की जा चुकी है । च्युत ऑफ इन्वन्टमन्त प्रमाशन क. प. दिनांक: 18.7.06 में नई हाटल नीति का मंदाई दत हुए प्रचलित वार्षिक आरक्षित दर क 50 प्रतिशत पर हाटल परियोजनाथ भूमि आवंटन का उल्लेख किया गया ।


राजस्थान सरकार की नई हाटल नीति-2006 के प्रावधानों के अनुसार 5 मितारा/डॉलकम व इमक ऊपर हाटलो के लिए अधिकतम 18000 वर्ग मीटर भूमि विशिष्ट आरक्षित दर, जो उम क्षेत्र की वर्तमान वार्षिक आरक्षित दर का 50 प्रतिशत हागी, पर आवंटन किया जा सकता है । अत: नई हाटल नीति-2006 के प्रावधानों के अनुसार भारत हाटल लिमिटेड को भूखण्ड में 2-बी व 2-सी, जगतपुरा रोड कुल क्षेत्रफल 11865 वर्ग मीटर भूमि विशिष्ट आरक्षित दर, स्थानीय क्षेत्र की वर्तमान प्रचलित वार्षिक आरक्षित दर के 50 प्रतिशत हागी, पर हाटल परियोजनाथ नई हाटल नीति-2006 में वर्णित शर्तों एवं उपनियमों के अधीन आवंटन करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा समिति के उक्त निर्णय को सूचनार्थ आयुक्त BIP को प्रेषित किया जावे ।

28	4	32:23(5)	जयपुर बीसलपुर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट में प्रस्तावित आनलाइन बूस्टर पम्पिंग स्टेशन जवाहर सर्फिनल रोड गार्डन में स्थापित करन बाबत ।
----	---	----------	---

उपायुक्त जान-4 के प्रस्ताव अनुभार एल.पी.सी. की 22वीं बैठक दिनांक: 8.11.05 को जयपुर बीसलपुर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट दत्त 11026 वर्ग मीटर भूमि जवाहर सर्फिनल के निकट रोडगार्डन के क्षेत्र में मंथन्य आरक्षित दर आवंटन करन का निर्णय लिया गया था यह ध्यान में रखा गया कि आवंटन की शर्त के अनुसार निर्माण कार्य 4 फीट की ऊंचाई में अधिक नही हागा अगर 4 फीट में ऊपर

*[Signature]*  
 आयुक्त (एल.पी.सी.)  
 ग.प.वि.प.न.

29	10	32:23(6)	<p>मेसर्स युटिक हाटलम् हीण्डूवा लि०, जयपुर नं०-13 का प्रस्ताव नई दिल्ली का पर्यटन इकाई की स्थापना हेतु भूमि आवंटन सम्बन्ध में ।</p> <p>जयपुर नं०-13 का प्रस्ताव अनुमति प्रकरण के खसरा नं० 8 एकड़ 8 बीघा 17 चिन्का 9 खसरा नं० 9 एकड़ 41 बीघा 15 चिन्का कुल 20 बीघा 12 चिन्का ग्राम-बल्लपुर में स्थित है । उक्त खसरा नं० की भूमि में से 20 एकड़ भूमि का आवंटन हेतु पर्यटन परिवारिका (रेल्वे ग्रा. रिमार्क) का निर्माण हेतु जयपुर पर्यटन विकास जयपुर में जयपुर जयपुर विकास प्राधिकरण का दिनांक: 23.9.25 का अधिसूचना नं० 1 तदनुषंगाने में जयपुर की श्रेष्ठ दिनांक: 10.10.25 का निर्मित द्वारा ग्राम-जयपुर या बल्लपुर में फार्म नक़्शे का संशोधन योजना क्षेत्र को अनुमति देना का निर्णय लिया गया ग्राम-बल्लपुर का खसरा नं० 8 व 9 में से 20 एकड़ भूमि देल्व रिमार्क हेतु आवंटित करने का निर्णय लिया गया दिनांक: 8.11.25 का अनुमति जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटन पर्यटन विकास का रूप में देल्व गया कि 20 एकड़ भूमि का जयपुर ग्राम-बल्लपुर में देल्व ग्रा रिमार्क के लिए राजस्व दे. निर्मित आवंटन को कार्यवाही प्राधिकरण/बोर्ड द्वारा जारी भूमि विस्तारण नियम</p>

  
 सति० प्रायुक्त (एल.बी.सी.)  
 विकास प्राधिकरण, जयपुर

1974 के अनुरूप की जा सकती है । परन्तु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक: 21.12.05 का खसरा नं० 8 व 9 की यथास्थिति बनाय रखन के आदेश प्रदान किये गये । दिनांक: 1.4.06 का बीडी की 21वीं बैठक के मिनिट्स के अनुसार "BIDI directed that land bearing Khasara Nos. 8 & 9 in village Ballapura be allotted to Boutique hotels India Limited subject to vacation of the high court stay order. BIDI further directed that Urban Development & Housing Department Jaipur Development Authority would ensure that no rights were created for the party before the vacation of the stay. The amount area of land was not discussed, as there is a stay on total land"

खसरा नं० 8 व 9 की यथास्थिति बनाय रखन के आदेश प्रदान किये गये । दिनांक: 1.4.06 का बीडी की 21वीं बैठक के मिनिट्स के अनुसार "BIDI directed that land bearing Khasara Nos. 8 & 9 in village Ballapura be allotted to Boutique hotels India Limited subject to vacation of the high court stay order. BIDI further directed that Urban Development & Housing Department Jaipur Development Authority would ensure that no rights were created for the party before the vacation of the stay. The amount area of land was not discussed, as there is a stay on total land"

खसरा नं० 8 व 9 की यथास्थिति बनाय रखन के आदेश प्रदान किये गये । दिनांक: 1.4.06 का बीडी की 21वीं बैठक के मिनिट्स के अनुसार "BIDI directed that land bearing Khasara Nos. 8 & 9 in village Ballapura be allotted to Boutique hotels India Limited subject to vacation of the high court stay order. BIDI further directed that Urban Development & Housing Department Jaipur Development Authority would ensure that no rights were created for the party before the vacation of the stay. The amount area of land was not discussed, as there is a stay on total land"

*(Signature)*  
प्रति० प्रायुक्त (एल.पी.सी.)  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



परिशिष्ट अ

स्पेशल इकोनॉमिक जोन विकसित करने के लिए रीको द्वारा पेश मानचित्र के मध्य में आ रही जमिनी छातेदारी में से पूर्व आवंटन के पश्चात शेष आवंटन की जाने वाली भूमि का विवरण:-

क्र. सं.	नाम ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)	किरम जमीन	अवशेष क्षेत्रफल
1.	खटवाडा	881	12.75	घारागाह	6.40
		882	0.00	घाही द्वितीय 0.02 जाय द्वितीय 0.06	0.08
		883	0.04	घारागाह	0.04
		884	0.03	जाय द्वितीय	0.03
		885	0.50	घारागाह	0.50
		886	0.15	घाही द्वितीय 0.03 जाय द्वितीय 0.12	0.15
		887	0.09	घारागाह	0.09
		891	0.14	घारागाह	0.14
		511/1191	0.02	बारानी उत्तम	0.02
		912	0.11	बारानी प्रथम	0.11
			कुल	13.97	
2.	नवटा	774	0.35	नवटा	0.35
		775	0.09	नवटा	0.09
		745	0.45	नवटा	0.45
		783	0.10	नवटा	0.10
		784	0.75	नवटा	0.75
		785/786-14	0.08	नवटा	0.08
		781	0.11	नवटा	0.11
		777	0.15	नवटा	0.15
		780	0.01	नवटा	0.01
		870	0.12	नवटा	0.12
		871	0.29	नवटा	0.29
		872	0.23	नवटा	0.23
		878	2.64	नवटा	2.64
		1070	0.61	नवटा	0.61
		1071	0.14	नवटा	0.14
		1073	0.12	नवटा	0.12
		1113/2017	0.79	नवटा	0.79
		1154	0.10	नवटा	0.10
		1155	0.26	नवटा	0.26
		114	0.02	नवटा	0.02
		1157/1158	0.57	नवटा	0.57
		121	0.12	नवटा	0.12
		122	0.06	नवटा	0.06
		123	0.14	नवटा	0.14
127	2.07	नवटा	2.07		
141	0.06	नवटा	0.06		
142	0.75	नवटा	0.75		
1105	1.07	नवटा	1.07		
1106	3.54	नवटा	3.54		
1117/1118/1119	0.25	नवटा	0.25		
	कुल	36.50		36.50	
	344	1.07	नवटा	1.07	
	352	1.17	नवटा	1.17	
	कुल	4.24		4.24	

LPC बेटे  
2017/2018 के  
प्रकार से 32:23(2)  
के साथ समूह  
विभाजन।

मति० प्रायुक्त (एल.पी.सी.)  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

567

24  
30

क्र. सं.	नाम ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर. मी)	किरम जमीन	अबाधि क्षेत्रफल
4.	धम्मोरिया	943	0.68	घारागाह	0.68
		947	6.27	घारागाह	6.27
		957	0.06	गै. मु. सरला	0.06
		कुल	7.01		7.01
5.	बागरूखुर्द	933/974	0.11	भारानी 2	0.11
		943	7.94	घारागाह	7.94
		928	4.66	घारागाह	4.66
		946	0.17	घारागाह	0.17
		948	3.96	घारागाह	3.96
		949	2.18	घारागाह	2.18
		950	8.76	घारागाह	8.76
		951	1.75	घारागाह	1.75
		953	10.33	घारागाह	10.33
		954	18.76	घारागाह	18.76
		955	2.03	घारागाह	2.03
		956	2.58	घारागाह	2.58
		957	3.65	घारागाह	3.65
	कुल	66.38		66.38	
6.	कलयाडा	1	14.66	घारागाह	14.66
		2	3.82	घारागाह	3.82
		8	0.81	घारागाह	0.81
		9	0.20	घारागाह	0.20
		12	6.01	घारागाह	6.01
		16	13.27	घारागाह	13.27
		17	0.36	घारागाह	0.36
		18	0.59	घारागाह	0.59
		19	0.02	घारागाह	0.02
		97	0.47	घारागाह	0.47
		100	1.12	घारागाह	1.12
		101	3.50	घारागाह	3.50
		104	0.16	घारागाह	0.16
		105	2.63	घारागाह	2.63
		106	0.24	घारागाह	0.24
		110	...	...	...
		123	0.98	घारागाह	0.98
		124	0.09	घारागाह	0.09
		130	0.04	घारागाह	0.04
		131	0.66	घारागाह	0.66
		134	0.33	घारागाह	0.33
		147	7.76	घारागाह	7.76
		181	0.04	घारागाह	0.04
		182	6.93	घारागाह	6.93
183	0.08	घारागाह	0.08		
185	3.95	घारागाह	3.95		
170	0.15	घारागाह	0.15		
772	0.06	घारागाह	0.06		
...	...	...	...		
...	...	...	...		

LPC की संज्ञा  
26/7/2018 के  
5-थमक के 32:23(2)  
के माफे सुप्रीम  
कोर्ट का आदेश  
अनुसार

नति. आयुक्त (एल.पी.सी.)  
मु. नि. प्र. प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर एच. एच. एच. एच.  
खण्ड - IV  
जयपुर नि. प्र. प्राधिकरण  
जयपुर

क्र. सं.	नाम ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)	किसम जमीन	अबादा क्षेत्रफल
		839	0.07	घरगाह	0.07
		840	0.14	घरगाह	0.14
		842	0.33	घरगाह	0.33
		848	0.52	घरगाह	0.52
		574/2761	0.14	भारानी प्रथम	0.14
		436/2708	0.36	भारानी प्रथम	0.36
		577/2826	0.17	भारानी प्रथम	0.17
		20/2855	0.12	घरगाह	0.12
		21/2856	0.06	घाही द्वितीय	0.06
		22/2857	0.06	घाही द्वितीय	0.06
		68/2900	0.12	भारानी प्रथम	0.12
		14/2901	0.15	घरगाह	0.15
		146/2902	0.06	भारानी उत्तम	0.06
		841/2915	0.10	भारानी प्रथम	0.10
		69	0.06	भारानी प्रथम	0.06
		70	0.02	भारानी प्रथम	0.02
		115	0.06	भारानी उत्तम	0.06
		250	0.56	भारानी तृतीय	0.56
		339	0.13	भारानी तृतीय	0.13
		340	1.00	भारानी तृतीय	1.00
		343	0.22	भारानी तृतीय	0.22
		344	0.21	भारानी तृतीय	0.21
		347	0.21	भारानी तृतीय	0.21
		348	0.21	भारानी तृतीय	0.21
		349	0.21	भारानी तृतीय	0.21
		351	0.21	भारानी तृतीय	0.21
		353	0.21	भारानी तृतीय	0.21
		355	0.21	भारानी तृतीय	0.21
		361	0.21	भारानी तृतीय	0.21
		368	0.21	भारानी तृतीय	0.21
		369	0.21	भारानी तृतीय	0.21
		471	0.26	भारानी तृतीय	0.26
		474	0.26	भारानी प्रथम	0.26
		480	0.26	भारानी तृतीय	0.26
		508	0.04	जाम द्वितीय	0.04
		510	0.14	जाम द्वितीय	0.14
		601	0.04	भारानी प्रथम	0.04
		602	0.04	भारानी प्रथम	0.04
		603	0.04	भारानी प्रथम	0.04
		604	0.04	भारानी प्रथम	0.04
		605	0.04	भारानी प्रथम	0.04
		606	0.04	भारानी प्रथम	0.04

LPC को देकर  
26/7/1988 को  
5410 सं-32:23(2)  
को देकर यथास्थिति  
में है।  
09/9/1988

रजि. नं. 100 (पञ्च पी. जी.)  
मु. नं. 100 (पञ्च पी. जी.)

पञ्च पी. जी. नं. 100  
पञ्च पी. जी. नं. 100  
पञ्च पी. जी. नं. 100

क्र. सं.	नाम ग्राम	खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)	किस्म जमीन	अबाध क्षेत्रफल
		685	0.10	बारानी प्रथम	0.10
		690	0.13	बारानी प्रथम	0.13
		730	0.12	बारानी प्रथम	0.12
		741	0.08	बारानी प्रथम	0.08
		768	0.04	बारानी प्रथम	0.04
		778	0.03	बाही द्वितीय जाय द्वितीय	0.01 0.02
		785	0.07	बाही द्वितीय जाय द्वितीय	0.01 0.06
		789	0.02	बाही द्वितीय जाय द्वितीय	0.01 0.01
		792	0.03	बाही द्वितीय जाय द्वितीय	0.01 0.02
		793	0.02	बाही द्वितीय जाय द्वितीय	0.01 0.01
		849	0.04	जाय द्वितीय	0.04
		1414	0.14	बाही द्वितीय जाय द्वितीय	0.08 0.06
		1448	0.15	बाही द्वितीय जाय द्वितीय	0.09 0.06
		1451	0.07	बाही द्वितीय जाय द्वितीय	0.06 0.01
		474 / 2752	0.35	बारानी प्रथम	0.35
		1413 / 2760	0.35	बाही द्वितीय जाय द्वितीय	0.20 0.15
		410 / 2799	0.14	बारानी प्रथम	0.14
		389 / 2810	0.13	जाय द्वितीय	0.13
		1452 / 2841	0.15	बाही द्वितीय	0.15
		393 / 2844	0.11	बारानी प्रथम	0.11
		195 / 2866	0.11	बारानी प्रथम	0.11
		698 / 2910	0.16	बारानी प्रथम	0.16
		733 / 2911	0.11	बारानी प्रथम	0.11
		1472 / 2927	0.12	बारानी प्रथम	0.12
		141	0.12	ग. म. बा. प्र.	0.12
		196	0.12	ग. म. बा. प्र.	0.12
		511	0.09	ग. म. बा. प्र.	0.09
		627	0.07	ग. म. बा. प्र.	0.07
		689	0.08	ग. म. बा. प्र.	0.08
		731	0.07	ग. म. बा. प्र.	0.07
		764	0.10	ग. म. बा. प्र.	0.10
		846	0.04	ग. म. बा. प्र.	0.04
		3	0.04	ग. म. बा. प्र.	0.04
		5	0.05	ग. म. बा. प्र.	0.05
		7	0.07	ग. म. बा. प्र.	0.07
		11	0.11	ग. म. बा. प्र.	0.11
		15	0.15	ग. म. बा. प्र.	0.15
		34	0.14	ग. म. बा. प्र.	0.14
		55	0.15	ग. म. बा. प्र.	0.15
		80	0.15	ग. म. बा. प्र.	0.15
		132	0.13	ग. म. बा. प्र.	0.13
		133	0.13	ग. म. बा. प्र.	0.13

LPC H/O  
20/11/2018  
5240/2018/32:23(2)  
5240/2018/32:23(2)  
5240/2018/32:23(2)

श्री. देव  
- श्री. कामुकन (एल. पी. सी.)  
- श्री. कामुकन (एल. पी. सी.)

श्री. देव  
श्री. देव  
श्री. देव

क्र. सं.	नाम ग्राम	खसरा नंबर	रकबा (घ.सं. म.)	विशेष जमीन	अवधि टोपकल
		151	0.34	गं. पु. रास्ता	0.34
		186	0.16	गं. पु. रास्ता	0.16
		187	0.07	गं. पु. रास्ता	0.07
		188	0.05	गं. पु. रास्ता	0.05
		208	0.13	गं. पु. रास्ता	0.13
		214	0.14	गं. पु. रास्ता	0.14
		251	0.53	गं. पु. रास्ता	0.53
		320	0.28	गं. पु. रास्ता	0.28
		426	0.13	गं. पु. रास्ता	0.13
		428	0.15	गं. पु. रास्ता	0.15
		453	0.01	गं. पु. रास्ता	0.01
		477	0.04	गं. पु. रास्ता	0.04
		626	0.28	गं. पु. रास्ता	0.28
		538	0.03	गं. पु. रास्ता	0.03
		539	0.03	गं. पु. रास्ता	0.03
		664	1.82	गं. पु. रास्ता	1.82
		636	3.06	गं. पु. रास्ता	3.06
		643	0.10	गं. पु. रास्ता	0.10
		645	0.08	गं. पु. रास्ता	0.08
		646	0.03	गं. पु. रास्ता	0.03
		650	0.05	गं. पु. रास्ता	0.05
		651	0.07	गं. पु. रास्ता	0.07
		654	0.04	गं. पु. रास्ता	0.04
		655	0.04	गं. पु. रास्ता	0.04
		679	0.05	गं. पु. रास्ता	0.05
		683	0.21	गं. पु. रास्ता	0.21
		687	0.21	गं. पु. रास्ता	0.21
		724	0.07	गं. पु. रास्ता	0.07
		735	0.15	गं. पु. रास्ता	0.15
		751	0.05	गं. पु. रास्ता	0.05
		757	0.05	गं. पु. रास्ता	0.05
		780	0.05	गं. पु. रास्ता	0.05
		828	0.08	गं. पु. रास्ता	0.08
		838	0.36	गं. पु. रास्ता	0.36
		867	0.35	गं. पु. रास्ता	0.35
		1428	0.12	गं. पु. रास्ता	0.12
		1442	0.17	गं. पु. रास्ता	0.17
		1487	0.11	गं. पु. रास्ता	0.11
		1561	0.11	गं. पु. रास्ता	0.11
		कुल	95.46		95.46
		12/387	0.04		0.04
		13/388	0.07		0.07
		15	0.04		0.04
		3	1.34		1.34
		7	0.14		0.14
		10	0.06		0.06
		12	7.75		7.75

L.P.C. की कोठी  
 26/7/2008  
 5 शासकीय 32:23(L)  
 4 शासकीय 5/24 नं. 10/5  
 रास्ता

अनुवृत्त (सर्वज्ञानी की सी.)  
 1. शासकीय प्राधिकरण

क्र. सं.	नाम ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)	किरम जमीन	अबापत
		15	0.15	चरागाह	0.15
		20	0.14	चरागाह	0.14
		1/385	0.02	चरागाह	0.02
			26.69		26.69
B.	टीलावास	574	13.18	गै मु चरागाह	12.88
		575	23.91	गै मु चरागाह	8.40
		576	7.68	गै मु चरागाह	7.68
		577	7.95	गै मु चरागाह	7.95
			52.72		36.91

## इकजाई गोश्वारा जेडीए भूमि

क्र. सं.	ग्राम का नाम	रकबा हेक्टर में	रकबा एकड़ में
9.	खटवाडा	7.62	18.83
10.	नेवटा	13.50	33.36
11.	झाई	0.25	0.61
12.	भग्मारिया	7.01	17.32
13.	बगरुखुर्द	66.38	164.04
14.	कलवाडा	94.46	233.44
15.	नृसिंहपुरा दादिया	20.29	49.97
16.	टीलावास	36.91	91.20
	कुल रकबा	252.42	623.80

L.P.A. नं 66  
26/11/2008  
अतिरिक्त 32:23(2)  
के लिए उपयुक्त भूमि  
जमा।

ए.एस.एम.  
ए.पी.ओ. (एल.पी.ओ.)  
जिला विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर जिला विकास प्राधिकरण  
जोन 11  
जयपुर

परिशिष्ट - ब

पूर्व में आवंटित भूमि जिम्मेवो निरस्त किया जाना है:

क्र.सं.	नाम ग्राम	ख.न.	रकबा	विकास	कारण
1.	कलवाडा	583	1.84	पौ.मु.नाला	बादर बोडी
		633	0.05	पौ.मु.नाला	हान क.
2.	भम्भोरिया	1205	0.13	पौ.मु.पाल	कारण
		1206	0.74	पौ.मु.तलाई	
		1199	0.20	काही ए	रीका डारा
				जाव ए	परा मयरा
		1209	0.14	चरागाह	की बाउण्डी
		967	0.10	चरागाह	में बाहर क.
		968	0.31	चरागाह	खमरा नम्बर
3.	झाई	380 मि.	3.02	चरागाह	
		338	0.40	चरागाह	
		344	0.92	चरागाह	
		588	0.92	चरागाह	
		282/766	0.12	चरागाह	
		285/767	0.11	चरागाह	
		कुल	9.00	27.24 एकड़	

LPC की अर्थ  
26/1/2008 के  
52वां क्र. 328/23(2)  
के अन्तर्गत निर्मा  
गणक अग्रिम

नि.म. आ.न. (पुन.पौ.मो.)  
सु. विकास प्राधिकरण, जयपुर

Dec 11  
जयपुर - 11  
जयपुर

## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

## उपस्थिति-पत्र

जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 32 वी बैठक दिनांक : 26.07.06 में उपस्थिति रहे अधिकारियों/जनप्रतिनिधियों की सूची :-

क्रम सं.	नाम अधिकारियों मय पद	एल.पी.सी. में पद
1.	श्री डी.बी.गुप्ता, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर	अध्यक्ष
2.	श्री जी.एल.गुप्ता, सचिव, जविप्रा, जयपुर	सदस्य
3.	श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा, माननीय सदस्य, राजस्थान विधानसभा	सदस्य
4.	मातादीन शर्मा, अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)	सदस्य, सचिव
5.	श्रीमति कौमुदी गुप्ता, निदेशक (वित्त)	सदस्य
6.	श्री एस.सी.सोनी, निदेशक (अभियान्त्रिकी)	सदस्य
7.	श्री रामनिवास मीणा, अतिरिक्त आयुक्त (पश्चिम)	सदस्य
8.	श्री ज्ञानाराम, अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व)	सदस्य
9.	श्री अरुण गर्ग, उपायुक्त जोन-1	विशेष आमंत्रित
10.	श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, उपायुक्त जोन-2	विशेष आमंत्रित
11.	श्री भागचन्द बाघेल, उपायुक्त जोन-3	विशेष आमंत्रित
12.	श्री महेन्द्र पारख, उपायुक्त जोन-4	विशेष आमंत्रित
13.	श्री चैन सिंह राठी, प्रशासनिक अधिकारी जोन-7	विशेष आमंत्रित
14.	श्रीमती रश्मि गुप्ता, उपायुक्त जोन-8	विशेष आमंत्रित
15.	श्री भगवान सहाय शर्मा, उपायुक्त जोन-9	विशेष आमंत्रित
16.	श्री जगदीश सिंह मोगा, उपायुक्त जोन-10	विशेष आमंत्रित
17.	श्री लेखराज तोषावडा, उपायुक्त जोन-11	विशेष आमंत्रित
18.	श्री इन्द्र सिंह सोलंकी, उपायुक्त जोन-12	विशेष आमंत्रित
19.	श्री एम.एन.गुप्ता, उपनिदेशक (राजस्व) जयपुर	विशेष आमंत्रित